हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	
9-10-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप. जवाब पेश करने हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली आगामी दिनांक 30-10-24 को पेश हो।
30-10-24	पत्रावली पेश हुई। जवाबी अधिवक्ता उपस्थित जवाब पेश करने हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13-11-2024 को पेश हो।
13-11-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता को बार-बार जवाब पेश करने हेतु अवसर दिए जाने उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किए जाने से उनका जवाब बंद कर प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आगामी दिनांक 26-11-2024 को पेश हो।
26-11-2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई पत्रावली के अवलोकन उपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली बाद पूर्ति संलग्न मूल बाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या 99/2022 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 21.12.2022 श्रीमती भावना सिंह(RAS)

बउनवान

1 रामविलास पुत्र कालू उर्फ रामेश्वर जाति मीना निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

2. छोटूलाल पुत्र कालू उर्फ रामेश्वर जाति मीना निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

3. राकेश कुमार पुत्र कालू उर्फ रामेश्वर जाति मीना निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

4. सुन्दर बाई विधवा कालू उर्फ रामेश्वर जाति मीना निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–प्रार्थिगण

बनाम

1. उर्मिला बाई पुत्री कालु पत्नी सोहनलाल जाति मीना निवासी टोडी खेडली तहसील पीपल्दा जिला कोटा, राजस्थान।

2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।

–अप्रार्थिगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0टी0एक्ट

अधिवक्ताः– 1. श्री महेन्द्र रेबारी (एडवोकेट प्रार्थिगण)

2. श्री बालकिशन रायका (एडवोकेट अप्रार्थी सं 1)

दिनांकः–26.11.2024

निर्णय

प्रार्थिगण ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1004 रकबा 0.44है0, खसरा संख्या 1017 रकबा 1.81है0, खसरा संख्या 1204 रकबा 0.60है0, खसरा संख्या 1205 रकबा 0.03है0, खसरा संख्या 343 रकबा 0.17है0, खसरा संख्या 982 रकबा 1.10है0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.15है0 वाके ग्राम पाली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में विस्थित है जिसके खातेदार टीनेन्ट प्रार्थिगण है एवं काबिज काश्त है। कृषि भूमि ग्राम पाली(बसवाडा) तहसील इन्द्रगढ़ जो कि प्रार्थिगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिसके अनुसार पुराने खसरा संख्या 614 रकबा 8 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

4 बीस्वा है इस कृषि भूमि पर सेटलमेंट विभाग द्वारा बंदोबस्त कार्य सम्वत् 2022 से 2041 किया गया जिसके अनुसार खसरा संख्या 914 रकबा 8 बीघा 4 बीस्वा कायम किया गया अर्थात रकबा खसरा संख्या सही बनाये गये है किन्तु इस पश्चात् सेटलमेंट सन् 1995 से 2015 को कार्य बन्दोबस्त विभाग द्वारा किया गया जिसके अनुसार 1017 रकबा 1.81है0 कायम किया गया अर्थात् अधिक बनाया गया जबकि पुराने रेकार्ड व खाता के अनुसार रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा बनाना चाहिये जिका रकबा 1.27है0 अंकित होना चाहिये जोकि दुरूस्त किया जाकर खसरा संख्या 1017 का रकबा 1.27है0 किया जावे जो रेकार्ड व खाता व मिलान के अनुसार सही होगा तथा शेष इस खसरा संख्या का रकबा 0.54है0 रहा वह खसरा संख्या 682 के रकबं में जोड़ा जावेगा। इसी अनुसार प्रार्थिगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि जिसके पुराने खसरा संख्या 598 रकबा 10बीघा, खसरा संख्या 886/1 रकबा 1बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 586/2 रकबा 14बिस्वा कुल 11बीघा 15 बिस्वा स्थित है इस कृषि भूमि पर भी सेटलमेंट विभाग द्वारा बंदोबस्त कार्य सम्वत् 2022 से 2041 किया गया जिसके अनुसार खसरा संख्या 896 रकबा 11बीघा 15बिस्वा कायम किया गया अर्थात रकबा व खसरा संख्या सही बनाये गये है किन्तु इस पश्चात् सेटलमेंट सन् 1995 से 2015 का कार्य बंदोबस्त विभाग द्वारा किया गया जिसके अनुसार खसरा संख्या 982 रकबा 1.10है0 कायम किया गया अर्थात् रकबा कम बनाया गया जबकि पुराने रेकार्ड व खाता के अनुसार रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा है जिसका रकबा 1.82 बनाता है। खसरा संख्या 1017 रकबा 1.81हे0 के बजाय रकबा 1.27है0 कायम किया जावे जो 8बीघा 4बिस्वा के बराबर है तथा खसरा संख्या 982 रकबा 1.10है0 के बजाय 1.82है0 किया जावे जो कि 11बीघा 15बिस्वा के बारबर है किन्तु रिकॉर्ड में उपलब्धता के अनुसार खसरा संख्या 982 का रकबा 1.10है0 एवं खसरा संख्या 1017 में से शेष रकबा 0.54है0 अर्थात 1.64है0 खसरा संख्या 982 का रकबा 1.64है0 किया जावें। कब्जा प्रार्थिगण इसी अनुसार है। मौके पर कोई विवाद नहीं नक्शा भी सही बना हुआ है। प्रार्थिगण व अप्रार्थी सं 1 जाति से मीणा है जो अनुसूचित जन जाति की श्रेणी में आते है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होता है बल्कि ऑल्ड हिन्दू लॉ लागू होता है। इस कारण प्रार्थिगण की बहिन अप्रार्थिनी संख्या 1 उर्मिला का कोई हक नहीं है इस कारण इसका नाम भी राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित होगा क्योंकि कालू की मृत्यु पश्चात् पुत्रों का ही नाम अंकित होगा न कि पुत्री का। प्रार्थिगण ने अंतिम बार दिनांक 09.12.2022 को भी नाम दुरूस्त करवाने हेतु तथा बहीन का नाम हटाने हेतु निवेदन किया तो मना कर दिया वरन खुर्द बुर्द रहन, बय करने की धमकी दी गई तथा रकबा सही करने हेतु भी निवेदन किया किन्तु कहा गया कि दावा करके हटवा लो। प्रार्थिगण का प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थिगण के पक्ष में है। दौराने वाद अप्रार्थी सं 1 उक्त कृषि भूमि का रहन, बय, खुर्द बुर्द करती है तो प्रार्थिगण को ऐसी अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं होगा। अन्त में प्रार्थिगण ने निवेदन किया कि वाद विषयक आराजी में अप्रार्थी सं 1 जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि उक्त कृषि भूमि को रहन, बय , खुर्द, बुर्द नहीं करें व अन्य से करावें।

प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जर्ये नोटिस अप्रार्थिगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी सं 1 की तरफ से अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब पेश करने हेतु अवसरा चाहा गया। अप्रार्थी सं 1 को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् भी उनके अधिवक्ता ने प्रकरण के प्रति उदासीनता दिखाते हुए जवाब पेश नहीं करने से उनका जवाब बंद कर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर प्रार्थिगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थिगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

प्रार्थिगण व अप्रार्थी सं 1 जाति से मीणा है जो अनुसूचित जन जाति की श्रेणी में आते है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होता है बल्कि ऑल्ड हिन्दू लॉ लागू होता है। इस कारण प्रार्थिगण की बहिन अप्रार्थिनी संख्या 1 उर्मिला का कोई हक नहीं है इस कारण इसका नाम भी राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित होगा क्योंकि कालू की मृत्यु पश्चात् पुत्रों का ही नाम अंकित होगा न कि पुत्री का। अप्रार्थी सं 1 उर्मिला जमांबदी में उनके नाम होने का फायदा उठाकर वाद विषयक आराजी बैंक से ऋण लिया जा रहा है। अप्रार्थी सं 1 द्वारा यदि दोराने वाद वाद विषयक आराजी का रहन, बय, खुर्द बुर्द करती है तो प्रार्थिगण को ऐसी अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं होगा। अन्त में प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं 1 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थिगण अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं मनन किया । पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वाद विषयक आराजी ग्राम पाली तहसील इन्द्रगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 में प्रार्थिगण एवं अप्रार्थी सं 1 उर्मिला सहखातेदार राजस्व रिकॉर्ड अंकित है। प्रार्थिगण द्वारा उक्त कृषिभूमि पुश्तैनी होना अवगत करवाया है। प्रार्थिगण एवं अप्रार्थी सं 1 मीना जाति से संबंधित है जो अनुसूचित जन जाति की श्रेणी में आते है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होता है बल्कि ऑल्ड हिन्दू लॉ लागू होता है। अप्रार्थी सं 1 द्वारा दोराने वाद यदि वाद विषयक कृषि भूमि का रहन, बैचान किया जाता है तो प्रार्थिगण को अपूर्णीय क्षति कारित होने की संभावना होना स्वभाविक है। प्राथमिक दृष्ट्या सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थिगण के पक्ष में होना प्रतीत होती है। हमारे मत में प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद विषयक आराजी वाके ग्राम पाली पटवार मण्डल बसवाडा तहसील इन्द्रगढ़ के खसरा संख्या 1004 रकबा 0.44है0, खसरा संख्या 1017 रकबा 1.81है0, खसरा संख्या 1204 रकबा 0.60है0, खसरा संख्या 1205 रकबा 0.03है0, खसरा संख्या 343 रकबा 0.17है0, खसरा संख्या 982 रकबा 1.10है0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.15है0 पर अप्रार्थी सं 1 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह मूल वाद के निस्तारण उक्त आराजी को रहन, बय, खुर्द, बुर्द नहीं करें, ऐसा न स्वयं न ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावें। पत्रावली फैसल शूमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 26–11–2024 को खुल इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)